राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–82/2018/कोटा

माहेश्वरी ईवेन्ट आर्गेनाईजर प्राईवेट लिमिटेड
जरिये भागीदार राजकुमार माहेश्वरी पुत्र स्व0 नारायण दास डांगा
निवासी–44 बी,, तिलकनगर, झालावाड़ रोड़, छावनी कोटा, जिला–कोटा .....प्रार्थी.

बनाम्

1. सरकार जरिये उप पंजीयक कोटा–द्वितीय, कोटा जिला–कोटा
2. आलोक व्यास पुत्र श्री रामदत्त दाधीच,
   निवासी म.न. 1095, महावीर नगर, प्रथम, कोटा .....अप्रार्थी.

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :
श्री ईश्वर देवड़ा
अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से.
श्री आर.के. अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से.
अप्रार्थी सं. 2 (तामील के प्रक्रम पर)

दिनांक : 26.02.2018

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी कलेक्टर (मुद्रांक), कोटा (जिसे आगे **"अधीनस्थ न्यायालय"** कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण सं. 180/2013 में पारित निर्णय दिनांक 21.09.2015 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा–65 के तहत् प्रस्तुत किया गया।
2. उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 2 आलोक व्यास के स्वामित्व की भूखण्ड संख्या 741, प्रतापनगर सीएडी चौराहे के पास स्थित जी–14 मंजिल इमारत जिसका परिमाप 43X80 वर्गफुट, 8 पूर्णनिर्मित फ्लेट को प्रार्थी द्वारा 5 वर्ष की लीज के लेने हेतु एक लीज एग्रीमेट दिनांक 23.11.2011 को पंजीयन हेतु उप पंजीयक द्वितीय कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप पंजीयक कोटा द्वारा दस्तावेज पर विधिवत मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क वसूल कर दिनांक 25.11.2011 को दस्तावेज पंजीबद्ध कर पक्षकारों को लौटा दिये गये। महालेखाकार राजस्थान जयपुर/आन्तरिक लेखा जांच द्वारा दस्तावेज में वर्णित सम्पत्ति की मालियत 25,60,080/– रूपये होना मानकर कमी मुद्रांक 1,17,340/– सरचार्ज 11,730/– कमी पंजीयन 14,930/– तथा तावान 53,980/– रूपये कुल 1,97,980/– रूपये के कर अपवंचना मानते हुए वसूली हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया गया तथा वसूली हेतु उप पंजीयक, कोटा द्वारा रेफरेन्स कलेक्टर (मुद्रांक), कोटा को पेश किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक), कोटा द्वारा उक्त राशि जमा कराने व राशि जमा नहीं होने पर दिनांक से 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होने का आदेश पारित किया। उक्त अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), कोटा के आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी पेश की गयी।

26/02/18

लगातार.....2.

3. उभय पक्षों की बहस सुनी गयी।

4. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उप पंजीयक व कलेक्टर (मुद्रांक), कोटा के आदेश का खण्डन करते हुए सर्वप्रथम कथन किया गया कि कलेक्टर (मुद्रांक), कोटा द्वारा प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उपपंजीयक द्वारा प्रेषित रेफरेन्स को हुबहू उचित मानते हुए रेफरेन्स स्वीकार कर लिया गया। विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया गया कि कलेक्टर द्वारा लेसी को नोटिस तो जारी किया गया परन्तु नोटिस प्रार्थी लेसी को तामील नहीं हुआ है तथा लेसर को तो नोटिस ही जारी नहीं किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्व है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व के रेफरेन्स को बिना किसी आधार के एक Non Speaking आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.05.2014 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पत्रावली में दिनांक 01.07.2014 की पेशी दी गई किन्तु उक्त पेशी पर प्रकरण न्यायालय के समक्ष नियत ही नहीं हुआ एवं लगभग एक वर्ष तक पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं हुई व अचानक पत्रावली को दिनांक 07.09.2015 की पेशी में लिया जाकर प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आगामी पेशी दिनांक 21.09.2015 दी गई व दिनांक 21.09.2015 को अधीनस्थ न्यायालय पवने बिना कोई बहस सुनी ही सरसरी तौर पर रेफरेन्स को स्वीकार किया। मियाद के संबंध में विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि निगरानी के साथ पेश किये गये मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब बाबत् समस्त व उचित कारणों को उल्लेख कर दिया गया है। अतः निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5. राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को नोटिस जारी किये गये जो प्रार्थी पर दिनांक 04.01.2014 को तामील हुआ। इस प्रकार बावजूद प्रार्थी को जानकारी होने पर भी प्रार्थी द्वारा अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रार्थी की ओर से राजस्व की ओर से प्रस्तुत रेफरेन्स का कोई खण्डन नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेफरेन्स को स्वीकार किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को अस्वीकार किये जाने योग्य है।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को उसमें वर्णित आधार संतोषजनक होने से निगरानी प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है।

26/02/18

लगातार.....3.

8. प्रकरण के तथ्य अनुसार भूखण्ड संख्या 741, प्रतापनगर सीएडी चौराहे के पास स्थित जी–14 मंजिल इमारत जिसका परिमाप 43X80 वर्गफुट, 8 पूर्णनिर्मित फ्लेट को प्रार्थी द्वारा 5 वर्ष की लीज के लेने हेतु एक लीज एग्रीमेट दिनांक 23.11.2011 को पंजीयन हेतु उप पंजीयक द्वितीय कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया। उप पंजीयक द्वारा बाद मौका मुआयना प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत 1,97,980/– रूपये मानते हुए अन्तर कर वसूलने का नोटिस जारी किया गया। अन्तर कर जमा नहीं कराने पर रेफरेन्स कलेक्टर मुद्रांक, कोटा को प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर द्वारा प्रार्थी के अनुपस्थित रहने पर रेफरेन्स स्वीकार कर लिया गया।

9. पत्रावली के साथ उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के रिकोर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए रेफरेन्स के अनुसार सम्पति की मालियत निर्धारित कर इस पर देय कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क व शास्ति की राशि सृजित करते हुये निगरानी अधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। इस आदेश में किस आधार पर मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है, यह अंकित नहीं है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को आदेश में युक्तिसंगत आधार अंकित करते हुये अपना निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। निगरानिकर्ता बावजूद तामिल अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के आधार पर उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। किन्तु प्रार्थी की यह आपत्ति रही है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया। प्रार्थी को दिनांक 04.01.2014 को नोटिस तामील नहीं हुआ। जिसके कारण प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय ने मेरिट के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 12.05.2014 को 01.07.2014 तारीख पेशी नियत की गयी तथा दिनांक 07.09.2015 को दिनांक 07.09.2015 की पेशी में 04.01.2014 को हवाला दिया गया और आक्षेपित आदेश पर दिनांक अंकित नहीं है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के हस्ताक्षर के नीचे भी कोई दिनांक अंकित नहीं की गयी है। इस संबंध में यही उल्लेखनीय है कि राजस्व को अपना मामना स्वयं साबित करना था। वह प्रतिपक्षी की किसी कमजोरी का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। आक्षेपित आदेश दिनांक 21.09.2015 में रेफरेंस को स्वीकार करने का कोई आधार उल्लेखित नहीं किया गया है। प्रतिपक्षी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होना रेफरेन्स को स्वीकार करने का एक मात्र आधार नहीं हो सकता। अतः उक्त परिस्थिति में इसी तथ्य को बल मिलता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मस्तिष्क का उपयोग किये बिना यात्रिंक रूप से Non Speaking और Non Reasoned आदेश पारित किया गया। इस प्रकार युक्तिसंगत/विधिसम्मत आधार के आभाव में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधिसम्मत आदेश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

26/02/18

लगातार.....4.

10. अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 21.09.2015 द्वारा रेफरेंस के तथ्यों को स्वीकार किया है किन्तु रेफरेंस के आधारों की राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अनुसार न तो जांच की गई न ही अपने आदेश में रेफरेंस के आधारों के सम्बंध में तथ्यों की कोई विवेचना की गई। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में तर्क, कारण व विवेचना का अभाव रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरांत ही उन्हें स्वीकार करने व न करने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करना चाहिए था। जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर सम्बंधित न्यायालय अपना निर्णय पारित कर सकेगी कि अवर अधिकारी/न्यायालय का निर्णय न्यायसंगत है अथवा नही किन्तु वर्तमान निगरानी प्रार्थना–पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही किया गया जिसे उचित नही कहा जा सकता। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :–

"…. To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regualr hearing."

"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the signifucance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent. Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system."

11. इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा Non Speaking एवं Non Reasoned आदेश पारित किये गये है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2015 अपास्त किये जाने योग्य है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रेता को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1996 पेज 503 उनवान श्रीमती गीतरानी बनाम श्रीमती पार्वती देवी व अन्य में यह

26/02/18

लगातार.....5.

सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विक्रय की गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण की जांच हेतु विक्रेता आवश्यक पक्षकार है। इस प्रकार नियम 65(2) के प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही है। उक्त प्रकरण राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के नियम 65 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में विस्तृत जांच कर पुनः विधिनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है। प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने से पक्षकारों को सुनवाई का भी समुचित अवसर प्राप्त होगा।

12. वर्तमान निगरानी प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 की तामील नहीं हुई है। किन्तु उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र में प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त होगा। अतः निगरानी प्रार्थना पत्रों में अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इसलिये वर्तमान निगरानी प्रार्थना पत्रा में अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध तामील नहीं होने से भी उसके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभावकारित नहीं होता है।

13. परिणामस्वरूप प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), कोटा का आदेश दिनांक 21.09.2015 को अपास्त किया जाता है। उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), कोटा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 की अनुपालना करते हुए पुनः विधिनुसार निर्णय पारित करें तथा पक्षकारों को यह आदेश दिये जाते है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.05.2018 सुनवाई हेतु उपस्थित हो। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेशित किया जाता है कि लेसर को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाये।

14. निर्णय सुनाया गया।

26/02/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य